

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी): अनुपालन बनाम सुविधा*

आर. गांधी

क्या केवाईसी एक नया सिद्धांत है?

केवाईसी बैंकिंग में हमेशा से रहा है! पहले अधिक ध्यान आस्ति पक्ष पर होता था न कि देयता पक्ष पर, क्योंकि कोई भी बैंकर किसी अपरिचित व्यक्ति को वित्त देने का जोखिम नहीं लेता था। सांभाव्य उधारकताओं को जांचने-परखने के लिए संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया केवाईसी प्रक्रिया का एक श्रेष्ठ उदाहरण है।

बाद में, गैर-कानूनी/काला धन और हाल ही में आतंकवाद को वित्त-पोषण एक गंभीर चिंता का विषय बन गया और उसके बाद भुगतान और विप्रेषण के साथ-साथ देयता पक्ष (जमा खाता इत्यादि) के संबंध में भी केवाईसी को महत्व देना शुरू कर दिया गया।

केवाईसी/एएमएल मानदंड क्यों जरूरी हैं?

सुदृढ़ केवाईसी नीतियां तथा प्रक्रियाएं देश में बैंकों की सुरक्षा और सुदृढ़ता और बैंकिंग प्रणाली की निष्ठा को बचाने के लिए जरूरी हैं।

भारतीय बैंकों के बढ़ते वैश्वीकरण के चलते अन्य देशों की वित्तीय प्रणाली के साथ उनके पारस्परिक इंटरैक्शन का विस्तार हो रहा है जिससे हमारी प्रणाली की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाध्यताएं और संयुक्त राष्ट्र संकल्प (प्रस्ताव) के जरिए अंतर-विनियामक सहमति बनाना, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति और वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की भी अपेक्षा है कि हम भारत में एक विस्तृत केवाईसी ढांचा लागू करें।

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ)

एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 (जी-7 पहल) में की गई थी। इसका कार्य मानकों का

* 23 मई 2014 को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कामर्स और इंडस्ट्री के सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी द्वारा दिया गया भाषण। इस भाषण को तैयार करने में श्री थामस मैथ्यू से प्राप्त सहयोग के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है।

निर्धारण करना और धन शोधन, आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्त देने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता से संबंधित अन्य आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालनगत उपायों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने को बढ़ावा देना है। यह एक ऐसी नीति बनाने वाला निकाय है जो इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधान और विनियामक सुधार के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा पैदा करने का कार्य करता है। यह आवश्यक उपायों का कार्यान्वयन करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है। इस निकाय में 36 पूर्ण सदस्य हैं। भारत उनमें से एक है। संसार भर में 18 से अधिक अधिकार-क्षेत्रों ने एफएटीएफ की सिफारिशों के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है। भारत भी एफएटीएफ की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मूलतः 1990 में, एफएटीएफ ने नशीली दवाएं बेचने से मिलने वाले पैसे को ध्यान में रखकर 40 सिफारिशें की थीं। इसने 1996 में अपनी सिफारिशों में संशोधित किया और इसका दायरा बढ़ाया। उसके पश्चात वर्ष 2001 में, इसने आतंकी गतिविधियों को वित्त देने से रोकने के लिए 8 (बाद में 9) सिफारिशें इसमें और जोड़ी दी जिनमें 2003 में पुनः संशोधन किया गया। इसकी सिफारिशों में नवीनतम संशोधन 2012 में किया गया और 40+9 सिफारिशों को मिलाकर फिर से 40 सिफारिशें निर्धारित की गई हैं।

बासल समिति

बासल समिति द्वारा 1999 में कराए गए सीमापार बैंकिंग के आंतरिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार अधिकांश देशों में कार्यरत बैंकों की केवाईसी नीतियों में विसंगतियां हैं। तत्कालीन केवाईसी प्रक्रियाओं की जांच करने और सभी देशों के बैंकों में लागू करने योग्य मानक तैयार करने के लिए सीमापार बैंकिंग पर एक कार्यदल गठित किया गया। इसने जनवरी 2001 में बैंकों के लिए ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) नामक एक परामर्शी दस्तावेज जारी किया। जहां, एफएटीएफ का जोर धन-शोधन और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पर है, वहीं एक व्यापक विवेकसंमत और जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से केवाईसी से संबंधित बासल समिति का दृष्टिकोण मात्र धन-शोधन निवारक तक ही सीमित नहीं है।

धन-शोधन निवारण अधिनियम - प्रमुख विशेषताएं

संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प (1990) में मांग की गई कि सदस्य राष्ट्रीय धन-शोधन विधान और कार्यक्रम अपनाएं। तदनुसार, भारत में, धन शोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए),

2002 जनवरी 2003 में पारित किया गया। इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ अधिनियम 1 जुलाई 2005 में लागू किया गया।

धन शोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- धन शोधन पर नियंत्रण और निवारण
- धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना
- जुर्म करने के लिए दंड और जुर्माना निर्धारित करना

इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रमाण का बोझ अभियुक्त पर है।

विनियामक रूख

केवाईसी के संबंध में रिजर्व बैंक का विनियामक रूख इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है कि बैंकों को अनुचित लोगों द्वारा की जाने वाली धन शोधन गतिविधियों से बचाया जाए, ताकि बैंक ग्राहकों, उत्पादों और सेवाओं, सुपुर्दगी माध्यमों से होने वाले जोखिमों को समझ सके और उनके जोखिमों का विवेकपूर्ण ढंग से मूल्यांकन और प्रबंधन करने में उनकी मदद कर सके। इस समय, रिजर्व इस बात से पूरी तरह से सचेत है कि केवाईसी ढांचा कथित जोखिम के लिए प्रासंगिक होगा और दखल देने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा और न ही बहुत अधिक सख्त होगा जिसके चलते आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में कोई परेशानी हो।

जहां तक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का संबंध है, केवाईसी के संबंध में किए गए प्रारंभिक उपायों (जारी निर्देश) में से कई उपायों के बारे में नीचे उल्लेख किया गया है। वास्तव में, इन निर्देशों को 50 साल पहले 1965 में जारी किया:

- 1965 - बैंकों को निर्देश जारी किए गए कि वे जमाकर्ताओं के पूर्ण और सही पते दर्ज होना सुनिश्चित करें (बेनामी खाते और कर वंचन)।
- 1976 - खाता खोलने के लिए, खाता धारकों की पहचान प्रमाणित करने/बेनामी खाते से बचने के लिए 'पहचान' की अवधारणा की शुरुआत की गई।

- 1987 - छह माह से अधिक की अवधि का खाता रखने वाला खाता धारक बैंक में किसी अन्य की पहचान प्रमाणित कर सकता है। खाता धारक की पहचान से खाता खोलने वाले व्यक्ति की समुचित पहचान की जा सकती है ताकि यदि कोई खाते का दुरुपयोग करता है तो उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके।
- 1991- टीसी/डीडी/एमटी/टीटी के लिए 50000/- रुपये से अधिक का लेनदेन करने की अनुमति नहीं।
- 1993 - बैंक खाता धारकों के भारी नकदी वाले आहरण जो उनके सामान्य व्यापार/कारोबार जरूरतों को असंगत बना दें और असामान्य प्रवृत्ति वाले मामलों पर नज़र रखे।
- बैंक जमाकर्ताओं/खाता धारकों जिन्हें 1 जनवरी 1994 से लागू सभी नए सक्रिय खाते के खोलने के समय कथित खाते को परिचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, से फोटोग्राफ प्राप्त करना शुरू करें।
- 1995 - 10 लाख रुपये से अधिक के मूल्य वाले नगदी लेनदेनों की निगरानी और विशेष रिपोर्टिंग।
- 1999 - चेक बुक जारी करने के पहले ग्राहक और पहचानकर्ता दोनों से डाक द्वारा पुष्टिकरण।
- 2000 - केवाईसी परिपत्र

भारी परिवर्तन - नवंबर 2014 से पहले और बाद की अवधि में केवाईसी

केवाईसी के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोर दिए जाने के बाद, रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले केवाईसी दृष्टिकोण में बहुत अधिक परिवर्तन किया है। अब पहचान की जगह दस्तावेज पर आधारित पहचान ली जा रही है - अर्थात् पहचान जरूरी नहीं है। अब इसका जोर बैंकों को हुए वित्तीय नुकसान (धोखाधड़ियों से होने वाले) पर न होकर बैंकों को हुए प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम (अनुपालन न करने से) पर है। अन्य सिद्धांत यह है कि एकत्र की गई केवाईसी सूचनाएं जोखिम के अनुसार हों और अन्य सूचनाओं को ग्राहक की सहमति से एकत्र किया जाए और

केवाईसी से जुड़ी सूचनाओं को गोपनीय रखा जाए - इन्हें प्रति-विक्रय अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकट न किया जाए।

विनियामक निर्देश

ग्राहक कौन है - केवाईसी के संबंध में

केवाईसी ढांचे के संबंध में, 'ग्राहक' की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया गया है। 'ग्राहक' वह है जिसका बैंक में खाता होता है/अथवा वह जो बैंक के साथ कारोबार करता है; वह जिसकी ओर से खाते का रखरखाव किया गया जा रहा है (लाभार्थी स्वामी), लाभार्थियों के लिए लेनदेन करने वाले स्टॉक ब्रोकर, सनदी लेखाकार, वकील और वित्तीय लेनदेन से संबद्ध कोई भी व्यक्ति/प्रतिष्ठान, जो बैंक के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, उदाहरण के लिए तार अंतरण/ अधिक मूल्य के डीडी जारी करके, पेशेवर प्रतिनिधि सभी 'ग्राहक' हैं।

बैंक की केवाईसी नीति - प्रमुख चार घटक

रिज़र्व बैंक ने निर्धारित किया है कि बैंक की केवाईसी नीति में निम्नलिखित चार प्रमुख घटकों को शामिल किया जाना चाहिए:

- ग्राहक स्वीकृति नीति
- ग्राहक पहचान प्रक्रिया
- लेनदेन की निगरानी, और
- जोखिम प्रबंधन

ग्राहक स्वीकृति नीति

निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं :

- किसी प्रकार के बेनाम/फर्जी/बेनामी खाते की अनुमति नहीं है
- जब समुचित ग्राहक सावधानी न बरत रहे हों, तो खाता खोला/बंद न किया गया जाए (सीडीडी - ग्राहक को नोटिस जारी करने के बाद ही समुचित उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा खाता बंद करने का निर्णय लिया जाए)
- जोखिम-बोध के मापदंडों को परिभाषित किया जाए ताकि ग्राहकों को श्रेणीबद्ध किया जा सके।

- विभिन्न जोखिम वर्गों के लिए दस्तावेज/सूचना की जरूरत (प्रत्येक ग्राहक का प्रोफाइल तैयार करने के लिए)
- ऐसी परिस्थितियां जहां किसी ग्राहक को किसी व्यक्ति/प्रतिष्ठान की ओर से कार्य करने की अनुमति हो, का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए (उदाहरण के लिए खाता अधिदेश धारक द्वारा परिचालित किया जाए)
- ग्राहक की पहचान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले/प्रतिषिद्ध प्रतिष्ठानों (आतंकवादी इत्यादि) से संबंधित नहीं होनी चाहिए

ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)

- ग्राहक पहचान - ग्राहक की पहचान करना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेज, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का प्रयोग करके उनकी पहचान सत्यापित करना
- बैंकों को सक्षम प्राधिकारियों को संतुष्ट करना होगा कि लागू वर्तमान दिशा-निर्देशों का पालन करने में ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर सावधानी बरती गई है
- इस प्रकार के जोखिम आधारित दृष्टिकोण को आवश्यक माना जाए ताकि बैंकों पर इस असंगत लागत और ग्राहकों को ऐसी कष्टदायक व्यवस्था से बचाया जा सके
- अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों का स्वरूप भी ग्राहक के प्रकार पर निर्भर करेगा (वैयक्तिक, कॉर्पोरेट इत्यादि)

सीआईपी - ग्राहक आईडी निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है:

- बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए
- वित्तीय लेनदेन करते समय जैसे कि 'अकस्मात ग्राहक' (वाक-इन-कस्टमर) के मामले में
- जब बैंक को पूर्व में प्राप्त ग्राहक पहचान संबंधी आंकड़ों की पर्याप्तता अथवा प्रामाणिकता/सत्याता के बारे में संदेह हो

सीआईपी - धन शोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए) की अपेक्षाएं

- बैंक को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) प्राप्त करना है
- आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; यूआईडीएआई पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या हो और विधि हस्ताक्षरित एनआरईजीए (नरेगा) कार्ड अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज हैं।
- जहां धन शोधन अथवा आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को वित्त देने का संदेह हो/पूर्व में प्राप्त ग्राहक पहचान आंकड़ों की पर्यप्ता अथवा सत्यता के बारे में संदेह हो, वहां बैंकों को पहचान को पुनः सत्यापित करने के साथ सावधानी बरतने वाले उपायों की समीक्षा करनी चाहिए।

बैंकों को सभी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा अंतरण परिचालनों के लिए ग्राहक की पहचान सत्यापित करना अपेक्षित है।

सीआईपी - नैसर्गिक व्यक्ति (एनपी) - पहचान दस्तावेज

- स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, यूआईडीएआई पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एनआरईजीए (नरेगा) कार्ड।
- नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र (बशर्ते बैंक उससे सहमत हो)
- पहचान और पते को सत्यापित करते हुए लोक प्राधिकारी अथवा सरकारी अधिकारी से मान्यता प्राप्त पत्र (बशर्ते बैंक उससे सहमत हो)
- वेतन पाने वाले कर्मचारी - कारपोरेट और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से पहचान और अथाव पते का पत्र (एक आधिकारिक वैध दस्तावेज अपेक्षित है)।

सीआईपी - एनपी- पता से संबंधित दस्तावेज

- टेलीफोन बिल
- बैंक खाता विवरण

- मान्यता प्राप्त लोक प्राधिकारी से पत्र
- बिजली का बिल
- राशन कार्ड
- नियोक्ता से प्राप्त पत्र (बशर्ते बैंक उससे सहमत हो), यदि आधिकारिक वैध दस्तावेज पहचान के लिए प्रस्तुत किया गया हो
- राज्य सरकार अथवा इसके समकक्ष विनियामक प्राधिकारण में विधिवत पंजीकृत किराया-समझौता जिसमें ग्राहक के पते का उल्लेख हो
- स्वयं की घोषणा के आधार पर, खाता एक शाखा से दूसरी खाता में पते के प्रमाण के बिना स्थानांतरित किया जा सकता है (सही पते का प्रमाण अंतरित शाखा को छह माह के भीतर प्राप्त करना होता है)
- कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है (यदि पता पहचान दस्तावेज में दिया गया हो तो एक ही दस्तावेज पर्याप्त है)
- बैंकों को अपनी संतुष्टि के लिए ग्राहक की पहचान और बैंकिंग संबंध के भावी स्वरूप के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना है।
- बैंकों को सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करना है कि ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर सावधानी बरती गई है।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे केवाईसी सत्यापन के लिए एक वैध प्रक्रिया के रूप में यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवा को स्वीकार करें। ई-केवाईसी प्रक्रिया के रूप में यूआईडीएआई से फोटोग्राफ सहित सूचना को 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' माना जाए।

सीआईपी - निकट के संबंधी

- निकट के संबंधियों अर्थात् पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता-पिता जो अपने पति, पिता/माता और पुत्र के साथ रहते हैं, के संबंध में, बैंक एक पहचान दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं और भावी ग्राहक जिसके साथ रह रहा हो उससे एक घोषणा कि यह व्यक्ति (भावी ग्राहक) जो खाता खोलने के लिए इच्छुक

है, मेरा संबंधी है और मेरे साथ रहता है, के साथ का एक यूटिलिटी बिल।

- बैंक आगे पते के सत्यापन के लिए किसी भी अनुपूरक प्रमाण का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि डाक के जरिए प्राप्त पत्र।

सीआईपी - पीईपी (अनिवासी)

राजनीति से सुपरिचित व्यक्ति (पीईपी) जिन्हें किसी अन्य देश में प्रमुख लोक कार्य (अभी तक हम विदेशी पीईपी पर जो र देर रहे है) करने की जिम्मेदारी दी जाती है, उदाहरण के लिए राज्यों/सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/रक्षा अधिकारी, राज्य-स्वामित्व वाले निगम के वरिष्ठ कार्यपालकगण।

- बैंकों को ग्राहक के रूप में किसी पीईपी को स्वीकार करने के पहले सभी सूचनाओं, पहचान विवरणों और निधि के स्रोतों के विवरणों का पालन करना है।
- पीईपी के लिए खाता खोलने का निर्णय नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार उच्च स्तर पर लिया जाए।
- पीईपी के परिवार के सदस्य और निकट के संबंधियों को भी समान सीडीडी के तहत रखा जाए।

सीआईपी - अप्रत्यक्ष ग्राहक

सामान्य ग्राहक पहचान प्रक्रिया अपनाए जाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखा जाए:

- प्रस्तुत किए गए सभी प्रकार के दस्तावेजों का सत्यापन।
- पहला भुगतान समान केवाईसी मानदंड वाले अन्य बैंक में रखने वाले ग्राहक के खाते के जरिए किया जाए।
- सीमा-पार ग्राहकों के मामले में जिसमें अन्य पक्ष का सत्यापन/ग्राहक की पहचान शामिल है, अन्य पक्ष विनियमित और पर्यवेक्षण करने वाला प्रतिष्ठान होगा।

सीआईपी - विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

- यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ग्राहक किसी बैंक, पूरी बैंकिंग प्रणाली और पूरी वित्तीय प्रणाली में अनेक पहचान नहीं रखता है।

- यूसीआईसी ग्राहक की पहचान, उपयोग की गई सुविधाओं की जानकारी, समग्र रूप से वित्तीय लेनदेनों की निगरानी करने में बैंक की मदद करेगा और ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल बनाने में बेहतर दृष्टिकोण रखने में बैंकों को सक्षम बनाएगा।
- केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री विचारीधीन है।

सीआईपी - वैध व्यक्ति (एलपी)

- उचित और प्रासंगिक दस्तावेजों के जरिए वैध व्यक्ति/प्रतिष्ठान वैध होने की स्थिति का सत्यापन करना
- यह सत्यापित किया जाए कि वैध व्यक्ति/प्रतिष्ठान की ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उस व्यक्ति की पहचान की जाए और उसकी पहचान का सत्यापन किया जाए
- पीएमएल नियमों के अनुसार, लाभार्थी व्यक्ति की पहचान बैंकों/एफआई द्वारा की जानी चाहिए
- ग्राहक के स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझना और यह सुनिश्चित करना कि कौन स्वाभाविक व्यक्ति हैं, अंततः वैध व्यक्ति को कौन नियंत्रित करता है

सीआईपी - एलपी - लाभार्थी स्वामी

लाभार्थी स्वामी वह व्यक्ति होता है जो अंततोगत्वा किसी ग्राहक और अथवा किसी व्यक्ति का अधिकार रखता है अथवा नियंत्रित करता है। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो किसी न्यायिक व्यक्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखता है।

- नियंत्रण स्वामित्व - कंपनियां > 25 प्रतिशत शेयर/पूंजी/लाभ; साझेदारी > 15 प्रतिशत पूंजी/लाभ; अनिगमित एसोसिएशन/वैयक्तिक निकाय > प्रतिशत संपत्ति/पूंजी/लाभ = ट्रस्ट > 15 प्रतिशत ट्रस्ट में अधिकार/ट्रस्ट का सेटलर/ट्रस्ट पर प्रभावी नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति।
- कंपनियों, साझेदारियों और एसोसिएशन इत्यादि के संबंध में, उपर्युक्त में से किसी भी नैसर्गिक व्यक्ति की

पहचान नहीं होती है, तो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी को बीओ के रूप में माना जाएगा।

- जहां ग्राहक अथवा हित का नियंत्रण करने वाला स्वामी कोई कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है/इस प्रकार की कंपनी के अधिकांश स्वामित्व वाली सहायक संस्था है, तो इस प्रकार की कंपनी के बीओ की पहचान करनी की जरूरत नहीं है।

सीआईपी - वैध व्यक्ति - कंपनियां

निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपेक्षित हैं:

- निगमन प्रमाण पत्र और ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियम
- खाता खोलने और उनकी पहचान जिन्हें खाता परिचालित करने का अधिकार है, के संबंध में निदेशक मंडल का संकल्प
- मुख्तारनामा की मंजूरी, यदि कोई हो
- पैन आबंटन पत्र की प्रति

सीआईपी - एलपी - साझेदार फर्म

- पंजीकरण प्रमाणपत्र यदि पंजीकृत हो
- साझेदारी विलेख
- मुख्तारनामा की मंजूरी, यदि कोई हो
- यदि कोई आधिकारिक वैध दस्तावेज जिससे साझेदारों और पीए धारक और उनके पतों की पहचान सुनिश्चित की जा सके

सीआईपी - एलपी - ट्रस्ट और फाउंडेशन

निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं :

- पंजीकरण प्रमाणपत्र यदि पंजीकृत हो
- स्वत्व-विलेख
- मुख्तारनामा की मंजूरी, यदि कोई हो
- यदि कोई आधिकारिक वैध दस्तावेज जिससे ट्रस्टी, सेटलर, लाभार्थियों, पीए धारक और उनके पतों की पहचान की जा सके।

सीआईपी - स्वामित्व प्रतिष्ठान

- पंजीकरण प्रमाण पत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के संबंध में)
- दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नागर प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/लाइसेंस
- बिक्री और आयकर विवरणी, सीएसटी/वैट प्रमाण पत्र
- आईसीएआई, आईसीओएआई, कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय चिकित्सा परिषद, खाद्य और औषधि प्राधिकारियों इत्यादि जैसे पंजीकरण करने वाले प्राधिकारियों द्वारा जारी लाइसेंस
- आईटी प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्राधिकृत/स्वीकृत अभिस्वीकृति प्राप्त स्वामित्वों के नाम वाला संपूर्ण आयकर रिटर्न जिसमें स्वामित्व प्रतिष्ठान की आय दर्शायी गई हो
- बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे यूटिलिटी बिल

ग्राहक प्रोफाइल और जोखिम वर्गीकरण

बैंक प्रभावी निगरानी, नियंत्रण और अपने जोखिम में कमी तभी कर सकते हैं जब उन्हें ग्राहक की सामान्य और यथोचित गतिविधियों की समझ होगी ताकि उनके पास ऐसे लेनदेन की पहचान करने वाले माध्यम हों जो नियमित गतिविधि से संबंधित न हो। तदनुसार, बैंकों को जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक ग्राहक के लिए जोखिम प्रोफाइल बनाना जरूरी है। जोखिम-बोध के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं : कोराबार गतिविधि का स्वरूप, ग्राहकों और उनके क्लाइंट की लोकेशन, लेनदेन का प्रकार, टर्नओवर की मात्रा और ग्राहक की सामाजिक और वित्तीय स्थिति।

ग्राहकों का जोखिम-बोध क्या है और यह केवाईसी से कैसे संबंधित है?

मौजूदा केवाईसी प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता बैंकों को लगने वाली असामान्य लागत और ग्राहक के लिए बोझिल प्रणाली का निराकरण करना है। इसे जोखिम ग्रेडेड सीडीडी प्रक्रिया अर्थात् कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम और तदनुसार समुचित सीडीडी स्तर को लागू करके सुनिश्चित किया जाना है। क्या जोखिम वर्गीकरण एक बारगी कार्य है? नहीं। यह एक निरंतर

किया जाना वाला कार्य है और बैंकों में छह महीने में एक बार खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने वाली प्रणाली होनी चाहिए। जोखिम उन्नयन जो ग्राहक लेनदेन/प्रोफाइल में परिवर्तन पर निर्भर करता है, के मामले में सावधानीपूर्वक उपाय लागू किए जाए

बैंकों को अपने मौजूदा सभी ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण और प्रोफाइल का संकलन/अद्यतन करने की प्रक्रिया मार्च 2013 के अंत तक पूरी करनी थी। ग्राहकों की पहचान से संबंधित जानकारियों का आवधिक अद्यतन उच्च जोखिम वाले ग्राहक के लिए 2 वर्ष और कम जोखिम वाले ग्राहक के लिए 10 वर्षों की समय सीमा निर्धारित की गई है।

कम जोखिम वाले ग्राहक कौन हैं? इसके प्रमुख उदाहरण वेतनभोगी कर्मचारी हैं; छोटी शेष राशि और कम टर्नओवर वाले खाते; सरकारी विभाग और सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां; विनियामक और सांविधिक निकाय इत्यादि। उच्च जोखिम वाले ग्राहक कौन हैं? वे अनिवासी ग्राहक; उच्च मालियत वाले व्यक्ति (एचएनआई), ट्रस्ट, चरिटी, एनजीओ और डोनेशन प्राप्त करने वाले संगठन: नजदीकी पारिवारिक शेरधारिता अथवा लाभ स्वामित्व रखने वाली कंपनियां, 'निष्क्रिय साझेदारी' वाली फर्म; राजनीति से सुपरिचित लोग, अप्रत्यक्ष ग्राहक, सोने बुलियन के ज्वैलर्स/व्यापारी और उपलब्ध जन सूचना के अनुसार संदिग्ध प्रतिष्ठा रखने वाले लोग इत्यादि हैं।

क्या बैंक खाता खोलने अथवा मौजूदा खाते को बंद करने के निर्णय को मना कर सकता है? जब बैंक समुचित ग्राहक के संबंध में बरती जाने वाले उपायों को लागू में असमर्थ है अर्थात् बैंक ग्राहक द्वारा सहयोग न करने अथवा बैंक के पास उपलब्ध जानकारी/सूचना की विश्वनीयता न होने के कारण जोखिम वर्गीकरण के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने अथवा पहचान का सत्यापन करने में असमर्थ होता है। ग्राहक को सूचना देने के बाद उच्च स्तर पर खाता बंद करने का निर्णय किया जा सकता है।

लेनदेन की निगरानी

बैंकों को लेनदेनों की पूरी जांच करनी चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि लेनदेन ग्राहक, उसके कारोबार और जोखिम

प्रोफाइल और जहां आवश्यक हो, वहां निधियों के स्रोत के अनुसार हैं। बैंकों से अपेक्षा है कि वे खाते के वर्ग विशेष के अनुसार सीमा निर्धारित करें और इन खातों में सीमा से अधिक के लेनदेन पर ध्यान दिया जाए। बैंकों को मनी मूल्स - जाली दस्तावेज रखने वाले निर्दोष नए सदस्य अथवा व्यक्ति के प्रति विशेष सुरक्षा करनी होगी।

संदिग्ध लेनदेन

ग्राहकों की गतिविधि के नियमित, सामान्य और यथोचित स्वरूप के बाहर आने वाले लेनदेनों को संदिग्ध लेनदेन के रूप में माना जाएगा। असाधारण रूप से बड़े लेनदेन और सभी असामान्य स्वरूप वाले लेनदेन जो ग्राहक के घोषित कारोबार/आय गतिविधि के संबंध में प्रत्यक्ष आर्थिक अथवा वैध कानूनी उद्देश्य से संबंधित नहीं है और लेनदेन जिसमें बड़ी रकम का लेनदेन किया जाता है, सामान्य लेनदेन के स्वरूप के न हों और ग्राहक की अपेक्षित गतिविधि संदिग्ध लेनदेन लगे। बैंकों को इस प्रकार के लेनदेनों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।

पीएमएलए के अनुसार, संदिग्ध लेनदेन निम्नलिखित हो सकते हैं :

- यथोचित आधार पर संदेह होना कि इस लेनदेन में आपराधिक आय शामिल है; अथवा
- असामान्य अथवा अनुचित जटिलता की परिस्थितियां प्रतीत होना; अथवा
- कोई आर्थिक औचित्य अथवा नेक इरादा प्रतीत न होना अथवा
- संदेह बढ़ना जिसमें आतंकवादी गतिविधियों का वित्त देना भी शामिल है,

इसलिए, बैंकों से अपेक्षा है कि वे खाते के वर्ग विशेष के अनुसार सीमा निर्धारित करें और इन खातों में सीमा से अधिक के लेनदेन पर ध्यान दे और ग्राहक की पृष्ठभूमि जैसे कि किसी देश से संबंधित है, निधि का स्रोत, किस तरह का लेनदेन करता है और जोखिम से संबंधित अन्य कारकों को ध्यान में रखकर खाते के लिए प्रमुख संकेतक निर्धारित करें।

बैंक इस प्रकार के लेनदेनों को पीएमएलए की परिभाषा के अनुसार रिपोर्ट करें।

आतंकी गतिविधियों को वित्त देने पर रोक लगाना

बैंक आतंकी गतिविधियों से संबंधित संदिग्ध खातों की निगरानी करने, लेनदेनों की त्वरित पहचान करने और प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय आसूचना इकाई-भारत को समुचित रिपोर्ट करने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था विकसित करें। संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) में आतंकी गतिविधियों को वित्त से संबंधित संदिग्ध मामलों को शामिल किया जाए। बैंकों को यूएनएससीआर में सूचीबद्ध वैयक्तिकों, प्रतिष्ठानों और खातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और लेनदेनों की निगरानी सूची की तुलना में की जानी है। किसी प्रकार की समान सूचना यदि पाई जाए तो उसे एमएचए को सूचित करें (यूएपीए - धारा 51ए)।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए)

सरकार को आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी व्यक्ति अथवा इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होने पर उसकी निधि/वित्तीय आस्तियों को जप्त करने का अधिकार है। यूएपीए के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के लिए यूएन मंजूरी के अधीन वैयक्तिकों/प्रतिष्ठानों की सूची अग्रेषित करता है। बैंकों को वित्तीय आस्तियों के जप्त/जप्त न करने के लिए यूएपीए की कार्यपद्धति का त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू)

वित्तीय आसूचना इकाई - भारत की स्थापना पीएमएलए के अनुपालन में की गई है। यह वित्तीय सूचनाओं को एकत्र करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की एक केंद्रीय एजेन्सी है। यदि आवश्यक हो तो ये इकाई संबंधित अन्वेषण प्राधिकारियों को सूचनाएं भी उपलब्ध कराती है। यह बैंकों/एफआई से और सेबी/इरडा द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठानों से सीटीआर/एसटीआर प्राप्त करती है।

निम्नलिखित प्रकार के लेनदेनों को वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को रिपोर्ट करना होता है:

- ₹10 लाख से अधिक अथवा विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष सभी नकदी लेनदेन

- एक महीने में ₹10 लाख की रकम के आंतरिक रूप से एक-दूसरे से संबद्ध सभी प्रकार के नकदी लेनदेन
- सभी प्रकार के नकदी लेनदेन जहां नकली अथवा जाली मुद्रा नोटों अथवा बैंक नोटों को वास्तविक मुद्रा/नोट के रूप में इस्तेमाल किया गया हो अथवा मूल्यवान प्रतिभूति अथवा दस्तावेज की जालसाजी की गई हो।
- सभी प्रकार के संदेहपरक लेनदेन वह चाहे नकदी से संबंधित हो अथवा न हो
- अलाभार्थ संगठन की ₹10 लाख और उससे अधिक की सभी प्राप्तियां
- पांच लाख से अधिक मूल्य अथवा विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष जहां निधि का मूल भारत में हो अथवा गंतव्य स्थान, के सभी सीमापार तार अंतरण के लिए भारत में भारत में सीमापार तार अंतरण रिपोर्ट (सीडब्ल्यूटीआर) अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करनी है।

ग्राहक सुविधा

हम इस संभावना से परिचित हैं कि इन दिशानिर्देशों में से कई दिशा-निर्देशों को पालन करने से परेशानी पैदा हो सकती है और ये कष्टदायक हो सकते हैं। इस संबंध में अनेक अभिवेदन और फीडबैक प्राप्त हुए हैं। इसलिए रिजर्व बैंक आवधिक रूप से इन दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर रहा है और इनमें संशोधन कर रहा है ताकि बर्दन को कम किया जा सके और अनुपालन को सहज बनाया जा सके। किंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और वित्तीय लेनदेनों की शुद्धता के साथ समझौता नहीं किया गया है।

इनमें से कई संशोधन और समायोजन नीचे दिए जा रहे हैं:

- सूचीबद्ध अनेक दस्तावेजों अर्थात् एक पहचान के लिए और दूसरा पते के लिए, में कोई एक दस्तावेज पहचान और पते के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है; यदि पहचान दस्तावेज में पते का उल्लेख है तो एक ही दस्तावेज पर्याप्त है।

- केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवा। ई-केवाईसी प्रक्रिया के रूप में यूआईडीएआई से प्राप्त फोटोग्राफ सहित जानकारी को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज माना जाए।
- निकट के संबंधी अर्थात् पत्नी, बेटा, बेटी और माता-पिता इत्यादि जो अपने पति, पिता/माता और पुत्र इत्यादि के साथ रहते हैं, के संबंध में पहचान दस्तावेज और भावी ग्राहक जिसके साथ वह रह रहा है, उससे इस आशय की घोषणा कि (भावी ग्राहक) उसका संबंधी है और वह उसके साथ रह रहा है, के साथ-साथ उसके नाम का यूटिलिटी बिल बैंक प्राप्त कर सकता है।
- बैंक आगे पते के सत्यापन के लिए डाक के जरिए प्राप्त पत्र जैसे किसी भी अनुपूरक प्रमाण का प्रयोग कर सकता है।

वित्तीय समावेशन

हमने इस केवाईसी ढांचे के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना किया है। उनमें कई चुनौतियां बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों से संबंधित हैं जिनके पास कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं होता है, विशेष रूप से प्रवासी लोगों के पते।

ग्राहक स्वीकार नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीएपी और इसका कार्यान्वयन बहुत ज्यादा नियामक नहीं होना चाहिए और न ही आम लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में प्रतिकूल परिणाम देना चाहिए, विशेष रूप से जिन्हें वित्तीय और सामाजिक रूप से बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे दस्तावेजों की सांकेतिक सूची को व्यापक सूची मानकर आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं से वंचित न करें।

यदि अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो क्या किया जा सकता है?

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि निकट के पारिवारिक सदस्य के लिए हमारे पास विशेष प्रावधान हैं। लघु खाते उन लोगों द्वारा खोले जा सकते हैं जो जिनके पास निर्धारित दस्तावेज नहीं

हैं। स्व-अनुप्रमाणित फोटोग्राफ, जिसे बैंक अधिकारी ने सत्यापित किया हो, के साथ बैंक अधिकारी के समक्ष एक विधिवत भरा और हस्ताक्षित किया हुआ फार्म जमा करके लघु खाता खोला जा सकता है। लघु खाते की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी: इस प्रकार के खाते में जमा/नामे/शेष राशि की सीमा निर्धारित होगी; यह केवल सीवीएस की सुविधा युक्त शाखाओं में उपलब्ध होगा; इसमें विदेशी विप्रेषण की अनुमति नहीं होगी; यह केवल 12 महीनों के लिए उपलब्ध रहेगा - आगे ऐसे खाते को बनाए रखने के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा; एक वित्तीय वर्ष में सभी प्रकार की जमाराशियों की कुल राशि 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए; एक महीने में सभी प्रकार की निकसियां और अंतरण 10 हजार रुपये से अधिक के नहीं होने चाहिए और किसी समय खाते की शेष राशि 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अतिरिक्त दस्तावेज+एईपीएस

- आधार पत्र और नरेगा कार्ड जैसे दस्तावेज पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज हैं।
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली अथवा एईपीएस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित की गई है जो कि बैंकिंग प्रतिनिधि द्वारा प्रदान किए गए मक्रो-एटीएम पर लोगों को आधार संख्या के जरिए वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति प्रदान करती है।
- एपीईएस के जरिए खाता धारक शेष राशि की जानकारी, नकदी आहरण, नकदी जमा और आधार से आधार में निधि अंतरण कर सकते हैं।

समापन

क्या हमें इस प्रकार की विस्तृत संरचना की जरूरत है? क्या यह बहुत अधिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं उठा रहा है? क्या हम आतंकवाद और धन शोधन के बारे में पैरनाइड नहीं हैं? इस प्रकार की व्यापक जरूरत के लिए हमें क्यों बैंकों के साधारण ग्राहकों को महत्व देना है?

यह सभी प्रश्न जायज हैं जो कि आपके दिमाग में उठते हैं। किंतु, हमें याद रखना है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं; हमें न

केवल नियमों का पालन करना है, बल्कि नियमों को लागू करने में मदद भी करनी है। हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक जिम्मेदार राष्ट्र भी हैं। हमारा दायित्व शेष संसार के प्रति भी है।

हमारे द्वारा तैयार की गई ये केवाईसी संरचना मात्र हमारी नहीं है; यह सभी प्रतिबद्ध राष्ट्रों द्वारा सहमति दृष्टिकोण पर आधारित है। यह संसार के नागरिकों के सार्वजनिक भलाई के लिए है।

हमें चालू आधार पर केवाईसी जरूरतों का पालने करने में सभी बैंक ग्राहकों की सहमति और सहयोग की जरूरत है। मुफ्त अथवा असुविधा से सुरक्षा नहीं मिलती है। कहा गया है कि इस प्रकार की लागत और असुविधा को कम करने के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। रिजर्व बैंक बैंक, के ग्राहकों के लिए परिचालनों को सहज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु बैंकों से अपेक्षा है कि वे